




भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-28294756, 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,
E-mail : dcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.org



फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमति पत्र/07/2019/भाग-2/13077

दि. 23-10-2020

परिपत्र सं.-16/2020

विषय :- दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या - 2 से प्रवेश/निकास की अनुमति ।

सभी यूनिट एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सीपज़ के बाजू में मेट्रो निर्माण का काम शुरु होने से सीपज़-सेज के सभी युनिट / कर्मचारियों को दो पहिया/चार पहिया वाहन से प्रवेश/निकास करने में होनेवाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सभी दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या-2 से आज से एक माह (दिनांक 23.11.2020 तक) के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

का.सं. 23/10
(केशव जाधव)
सुरक्षा अधिकारी
सीपज़-सेज

प्रति:-

1. सीपज़ जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्यू. एसोसिएशन,
2. सभी यूनिट एवं जनोपयोगी सेवाएं, सीपज़-सेज,
3. सुरक्षा अनुभाग,
4. आईटी अनुभाग, सीपज़-सेज के वेबसाइट पर अपलोड करे।
5. आउटलुक :